

**कार्यालय
राजिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

क्रमांक - प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2020/197।

दिनांक दिनांक 15-9-2020

- कार्यालय प्रेषण -

अधिकांश भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं दिल्ली/राज्यीय कार्यपालिकाओं द्वारा प्रेषित किये गए वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न राज्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में प्राथमिक कार्यपालिका में बैठक संवहान हुई। बैठक में संविधि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु उपरोक्त पूर्व सम्बद्धताओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शक/प्रवेश कृपा कृति संविधि प्रदान करने पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

इसके पूर्व अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक से सत्र-21 में दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिए दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिए दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिए दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया।

निजी क्षेत्र में स्थापित दिशालया इन फार्मली सहायक बन संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीऑनरईय द्वारा उन्हें स्थायक अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं से पीठरीऑनरईय द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरीऑनरईय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 15-9-2020 को सात सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न एवं उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था के प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण एवं सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. संख्या	संस्था का नाम	पारदर्शक का नाम	पीठरीऑनरईय द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित करने गया	पीठरीऑनरईय /प्राथमिक शिक्षा सत्र 2020-21 में अनुमोदित करने गया
1	2130 उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, 110004। 20023	विशाल एवं शर्मिष्ठी	हां	हां

सम्बद्धता हेतु पूर्व

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीठरीऑनरईय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेंगे।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शक/प्रवेश कृपा कृति संविधि प्रदान करने पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।
- ✓ दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिए दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र 2020-21 के अनुक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिए दिनांक 15 नवंबर 2020 तक तकनीकी पर्यवेक्षण सम्पन्न करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं की प्रकरण रखा गया।

[Handwritten Signature]

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2789-R.G.S.COLLEGE OF PHARMACY VILL-KARAUNDI POST-ITAUNJA, LUCKNOW-226203

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1992, सेमेस्टर विनियमवर्ती-2016 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इली० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीच का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम तरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उम समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/आसनक्षेत्रनिर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, शिथियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करते में अलफत रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दावर किया जाता है तथा संघर्ष वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को घटायें जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिरिपि.

प्रधानाचार्य/निदेशक,R.G.S.COLLEGE OF PHARMACY VILL-KARAUNDI POST-ITAUNJA,
LUCKNOW-226203



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव